हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)

महत्वपूर्ण सूचना

NOTIFICATION No. BSEH/SRS/2026/84 **DATE. 17-07-2026**

विषयः— सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा मार्च—2026 के प्रमाण—पत्र/अनुत्तीर्ण/कम्पार्टमैन्ट कार्ड एवं माईग्रेशन वितरण बारे।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा मार्च—2026 में आयोजित की गई सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) परीक्षा के विद्यालयी परीक्षार्थियों के प्रमाण—पत्र/अनुत्तीर्ण/कम्पार्टमैन्ट कार्ड एवं माईग्रेशन कार्ड जिला भिवानी को छोड़कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों पर दिनांक 20.07.2026 को भेजे जा रहे हैं। प्रदेश के सभी सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयों के मुखियाओं को इस बारे सूचित किया जाता है कि वे अपने विद्यालय के परीक्षार्थियों के प्रमाण—पत्र एवं कम्पार्टमैन्ट/अनुत्तीण कार्ड एवं माईग्रेशन कार्ड दिनांक 20.07.2026 को प्रातः 11:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक तथा दिनांक 21.07.2026 को प्रातः 09:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिला भिवानी के सीनियर सैकेण्डरी के प्रमाण—पत्र/अनुत्तीर्ण/कम्पार्टमैन्ट काड एवं माईग्रेशन कार्ड बोर्ड मुख्यालय के कमरा नं. 98 में वितरित किए जाएंगे।

इस बारे यह भी उल्लेखनीय है कि यदि विद्यालय मुखिया स्वयं ये प्रमाण—पत्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो अपने विद्यालय के किसी भी अध्यापक/प्राध्यापक को इस कार्य के लिए प्राधिकृत करें। जिस अध्यापक/प्राध्यापक को विद्यालय के मुखिया द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, वे अपने साथ प्राधिकरण पत्र (Authority Letter) अवश्य लेकर आए अन्यथा उनको प्रमाण—पत्र नहीं दिये जायेंगे। प्राधिकरण पत्र न होने के कारण प्रमाण—पत्र न मिलने की जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्था की होगी। यदि कोई विद्यालय किन्हीं कारणों से निर्धारित तिथियों में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्रमाण—पत्र दस्ती प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उस अवस्था में प्रमाण—पत्र उक्त वर्णित तिथियों के बाद बोर्ड मुख्यालय से दस्ती प्राप्त करने होंगे। इसकी जिम्मेवारी विद्यालय मुखिया की होगी।

सचिव